कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश कमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/डीपीसी 17–18/आरआर/2018 दिनांक 18.01.2018 द्वारा क्रम संख्या 50, वरिष्ठता कमांक 1624 (2013–14) पर स्थित श्रीमती वीर प्रभा यादव, प्रधानाध्यापक, रामावि–जटगावांडा, बहरोड, अलवर को पदौन्नति उपरान्त जरिए काउन्सलिंग उनके सहमति पत्र में अंकित विकल्प के आधार पर राउमावि–गुलपाडा, नगर, भरतपुर पदस्थापित किया गया था जहां पर श्रीमती वीरप्रभा द्वारा दिनांक 16.02.2018 को कार्यग्रहण कर लिया गया।

उक्त पदौन्नत कार्मिक द्वारा काउन्सलिंग के समय अलवर जिले में राबाउमावि–गढी सवाईराम में प्रधानाचार्य का पद रिक्त होते हुए भी रिक्तियों में प्रदर्शित नहीं किये जाने और विवश होकर राउमावि–गुलपाडा, नगर भरतपुर हेतु अपनी सहमति देने से आहत होकर माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण में अपील संख्या 82/2018 श्रीमती वीरप्रभा यादव बनाम श्रीमान निदेशक दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.02.2018 द्वारा प्रकरण के तथ्यो, परिस्थितियों, व मुख्य रूप से अपीलार्थी की सहमति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया गया कि अपीलार्थी उक्त आदेश के एक माह के भीतर सक्षम प्राधिकारी/संदर्भित प्रत्यर्थी विभाग को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करे व सक्षम प्राधिकारी पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में अभ्यावेदन को विधि अनुसार कन्सीडर कर एक सकारण आख्यात्मक आदेश पारित करते हुए एक माह के भीतर निस्तारित करे।

अपील संख्या 82/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के कम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपना पदस्थापन अलवर जिले में राउमावि–जटगांवडा, बहरोड (नवकमौन्नत), राउमावि–खोहरी, बहरोड, अलवर (नवकमौन्नत), राउमावि–दौलतसिंहपुरा, नीमराणा, अलवर (नवकमौन्नत) अथवा दिनांक 31.03.18 को सेवानिवृति से रिक्त होने वाले प्रधानाचार्य के पद पर राउमावि–बुर्जा, उमरैण, अलवर अथवा राउमावि–किशनगढ बास, अलवर किये जाने सम्बन्धी परिवेदना की गई।

माननीय अधिकरण के निर्णय के कम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार किया गया। प्रार्थिया को पूर्व में काउन्सलिंग के समय महिला वर्ग का लाभ नियमानुसार दिया जाकर ही वरिष्ठतानुसार उनकी काउन्सलिंग की गई थी और प्रार्थिया द्वारा अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान राउमावि– गुलपाडा, नगर भरतपुर हेतु विकल्प पत्र के माध्यम से अपनी सहमति प्रदान की गई थी। काउन्सलिंग के समय रिक्तियों को प्रशासनिक आवश्यकता और विभागीय प्राथमिकता के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है। प्रार्थिया द्वारा धारित प्रधानाचार्य और समकक्ष का पद राज्य सेवा का पद है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण के अनुसार राज्य शिक्षा सेवा के राजपत्रित स्तर का पद धारित कार्मिक की सेवाएं राज्य हित, छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी ली जा सकती हैं। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन सम्बन्धी मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। इसी को मध्यनजर रखते हुए अपीलार्थी श्रीमती वीरप्रभा यादव, प्रधानाचार्य, राउमावि, गुलपाड़ा–नगर जिला भरतपुर के गृह जिले में पदस्थापन सम्बन्धी मांग एतद् द्वारा खारिज की जाकर अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है। सभी पक्षकार सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/अपील/वीरप्रभा/82/2108 दिनांकः 30.04.18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार।
2. सम्बन्धित उपनिदेशक।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (विधि) जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक/अपीलार्थी
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/ /प्रधानाचार्य/डीपीसी 17–18/2017/चतुर्थ दिनांक 16.10.2017 द्वारा क्रम संख्या 36, वरिष्ठता क्रमांक 1488 (2013–14) पर स्थित श्रीमती सुनीता, प्रधानाध्यापक, रामावि–नांद, झुन्झुनु, को पदौन्नति उपरान्त जरिए काउन्सलिंग उनके सहमति पत्र में अंकित विकल्प के आधार पर राउमावि–थिरोद, मुण्डवा, नागौर पदस्थापित किया गया था जहां पर श्रीमती सुनीता द्वारा दिनांक 25.10.2017 को कार्यग्रहण कर लिया गया।

उक्त पदस्थापन आदेश के विरूद्ध श्रीमती सुनीता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में एस. बी. सिविल याचिका संख्या 1284/2018 सुनीता बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.01.2018 द्वारा याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपनी पीडा व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में उसे विधि अनुसार कन्सीडर करते हुए माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पूर्व निर्णीत प्रकरण याचिका संख्या 9371/2014 शिव प्रसाद निमिवाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य व याचिका संख्या 15688/2012 मोनिका मील बनाम उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में 6 सप्ताह के भीतर जरिए स्पीकिंग ऑर्डर निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

याचिका संख्या 1284/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में याचिकार्थी श्रीमती सुनीता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों के मध्यनजर अपना पदस्थापन राउमावि–कैंरू, झुन्झुनु अथवा दिनांक 30.06.2018 को सेवानिवृति से रिक्त होने वाले पद प्रधानाचार्य–राउमावि, मौजास झुन्झुनु किये जाने की परिवेदना की गई।

याचिकार्थी से सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया और माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णीत शिव प्रसाद निमिवाल व मोनिका मील के प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा अभ्यर्थियों को मेरिट अनुसार पदस्थापन सम्बन्धी निर्देश ही प्रदान किये गए थे। याचिकार्थी श्रीमती सुनीता को पूर्व में काउन्सलिंग के समय महिला वर्ग का लाभ नियमानुसार दिया जाकर ही वरिष्ठतानुसार उनको काउन्सलिंग की गई थी और याचिकार्थी द्वारा अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान का चयन विकल्प पत्र के माध्यम से सहमति प्रदान कर किया गया था। याचिकार्थी द्वारा धारित प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष का पद राज्य सेवा का पद है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण के अनुसार राज्य शिक्षा सेवा के राजपत्रित स्तर का पद धारित कार्मिक की सेवाऐं सरकार अथवा विभागाध्यक्ष राज्य में कहीं पर भी लेने हेतु सक्षम है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। इसी को मध्यनजर रखते हुए याचिकार्थी श्रीमती सुनीता, प्रधानाचार्या–राआउमावि, थिरोद, मुण्डवा, नागौर का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी पक्षकार सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/एसबीसिया/सुनीता/1284/2018 दिनांकः 30.04.18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार।
2. सम्बन्धित उपनिदेशक।
3. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (विधि) जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक/अपीलार्थी
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2017–18 के प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पदों के विरूद्ध चयनित कार्मिकों का पदस्थापन इस कार्यालय के आदेश कमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/डीपीसी 17–18/2017 दिनांक 13.07.2017 द्वारा किया गया। उक्त आदेश में क्रम सं 156, वरिष्ठता कमांक 1766 (2013–14), श्रीमती विजया मीणा, प्रधानाध्यापिका, रामावि खेरापाली, पिछनोट, उमरैण, अलवर को पदौन्नति उपरान्त जरिए काउन्सलिंग उनकी सहमति से राआउमावि, नौगावां, कामां, भरतपुर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर पदस्थापित किया गया जहां पर याचिकार्थी द्वारा दिनांक 15.07.17 को कार्यग्रहण कर लिया गया।

श्रीमती विजया मीणा द्वारा उक्त पदस्थापन आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में एस बी सिविल याचिका संख्या 313/2018 श्रीमती विजया मीणा बनाम राजस्थान राज्य दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 08.01.2018 में याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उपरोक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में माननीय न्यायालय की कॉर्डिनेट बैंन्च द्वारा पूर्व में जारी प्रकरण याचिका संख्या 2226/2014 श्रीमती अन्जू मीणा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में 4 सप्ताह के भीतर निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

याचिका संख्या 313/2018 के कम में याचिकार्थी श्रीमती विजया मीणा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं के स्लिप डिस्क से पीडित होने, सास की अस्वस्थता एवं डेढ वर्षीय पुत्री की देखभाल सम्बन्धी समस्या के मध्यनजर अपना पदस्थापन/स्थानान्तरण राउमावि–गण्डूरा, लक्ष्मणगढ, अलवर किये जाने की परिवेदना की गई।

याचिकार्थी से सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी याचिका संख्या 2226/2014 श्रीमती अन्जू मीणा बनाम राज्य सरकार क निर्णय क परिप्रेक्ष्य में इसकी समीक्षा की गई। जहां तक श्रीमती अन्जू मीणा के प्रकरण का सम्बन्ध है तो उक्त प्रकरण मुख्य रूप से तृतीय व द्वितीय श्रेणी शिक्षकों से सम्बन्धित है और उसमें भी माननीय न्यायालय द्वारा वरिष्ठतानुसार पदस्थापन सम्बन्धी निर्देश ही प्रदान किये गए थे। याचिकार्थी को पूर्व में वरिष्ठता में महिला वर्ग का लाभ दिया जाकर ही नियमानुसार उनकी काउन्सलिंग की गई थी और उनके द्वारा अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान का चयन विकल्प प्रस्तुत कर सहमति पत्र के माध्यम से किया गया था। **याचिकार्थी द्वारा चाहे गए राउमावि–गण्डूरा, लक्ष्मणगढ, अलवर में प्रधानाचार्य का पद रिक्त नहीं है।** याचिकार्थी द्वारा धारित प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष का पद राज्य सेवा का पद है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण के अनुसार राज्य एवं लोक हित में उनका पदस्थापन राज्य में कहीं पर भी किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। इसी को मध्यनजर रखते हुए याचिकार्थी **श्रीमती विजया मीणा, प्रधानाचार्या राउमावि–नौगांवा, कामां, भरतपुर का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।** सभी सम्बन्धित सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक 30.04.18

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/विजया मीणा/याचिका/313/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. सम्बन्धित उपनिदेशक।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा भरतपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित कार्मिक/याचिकार्थी
8. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)